तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	भूपसिंह बनाम श्रीमती गिन्दोडी **249 / 2018 (जीसीएमएस नम्बर 2018 / 00118)**
21.09.21	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित उनकी बहस रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. वास्ते तरतीबी रेस्पोंडेन्ट से अपीलान्ट्स प्रतिस्थापन करने हेतु व अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अपील आगे नही चलाने पर सुनी गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली के अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 5 स्वयं को व अन्य तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 4, व 6 लगायत 8 को हस्तगत अपील में अपीलान्ट के रूप में प्रतिस्थापित कराना चाह रहे है जबकि अपीलान्ट स्वयं ही अपील को विड्रो करना चाह रहे है ऐसे में हस्तगत अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। ऐसी स्थिति में तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 8 को अलग से नई अपील प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर तरतीबी रेस्पोडेन्ट को नये सिरे से अपील प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए उनका प्रार्थना पत्र धारा 151 जा.दी.खारिज किया जाता है तथा अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील को आगे नही चलाये जाने के कारण अपील अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो। आदेश सुनाया गया। (दिनेश कुमार यादव) संभागीय आयुक्त जयपुर